छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | चतुर्थ सत्र | अंक-09

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2015</u>

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री महेश गागड़ा, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर से माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा नान घोटाले के संबंध में समाचार पत्रों में हुए प्रकाशन का उल्लेख करते हुए इस विषय पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा समाचार पत्र लहराते हुए नारेबाजी की गई)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि समाचार पत्रों का प्रदर्शन बंद करें। सदन नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार चलता है। सदन की उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का दायित्व आप सबका है। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पुन: चर्चा कराये जाने की मांग की एवं नारे लगाये गये।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस सदन में इस बार बहुत से नये सदस्य चुनकर आये हैं, पुराने सदस्यों का यह दायित्व है कि वे उनको उच्च परंपराओं से अवगत करायें। यदि पुराने सदस्य नये सदस्यों को ऐसा आचरण एवं व्यवहार सिखायेंगे तो सदन की उच्च परंपराओं के विपरित भविष्य में ऐसी घटनाएं लगातार होंगी।

माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि इस सदन के जो भी नियम प्रचलित हैं उसके अंतर्गत इस सदन में किसी बात को उठाने के पूर्ण अवसर हैं। बजट सत्र में आपको चर्चा के बहुत अवसर मिलेंगे जिसमें आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। प्रश्नों के शासन से जवाब आते हैं। इसलिए प्रश्नकाल चलने दें।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही 11.18 बजे स्थगित की जाकर 11.46 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिये खड़े हों तो टोकाटाकी नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर नान घोटाले पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि प्रश्नकाल में नाम पुकारे जाने पर उपस्थित रहकर भी प्रश्न नहीं पूछना आसंदी की अवमानना है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सभा में सदस्य उपस्थित हों तो सदस्य प्रश्न पूछें यही संसदीय प्रक्रिया है।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 02 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 से 05 के प्रश्नकर्ता सदस्यों द्वारा उपस्थित रहकर भी प्रश्न नहीं पूछे गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखा।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सहकारी समितियों द्वारा किसानों का धान वापस उठाने के लिये बाध्य किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नान घोटाले के विषय पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, टी.एस.सिंहदेव (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री विद्यारतन भसीन, सभापति ने याचिका समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) तथा नियम 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक

लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार दिन्नांक 20 मार्च, 2015 को अपराह्न 1.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2013 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(सभा की कार्यवाही 12.15 बजे स्थगित की जाकर 12.31 बजे पुन: समवेत हुई।)

9. वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री लाभचंद बाफना, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, नवीन मारकण्डेय,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपेथिक चिकित्सालय में दिनांक 17 से 19 मार्च, 2015 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सांय 5.00 के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 16 एवं 17 मार्च बजट पर सामान्य चर्चा हेतु निर्धारित है।

तदनुसार आज दिनांक 16 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

लेकिन आज प्रतिपक्ष ने पूरे दिन के लिए कार्यवाही से बहिर्गमन किया है।

इस सदन की यह परंपरा रही है कि बजट पर चर्चा पक्ष एवं प्रतिपक्ष की उपस्थिति में ही कराई जाती है। अत: उच्च संसदीय परंपरा को पुष्ट करने हेतु मैं आज सभा की कार्यवाही स्थगित करता हूं। ताकि कल प्रतिपक्ष भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा ले सके।

कल दिनांक 17 मार्च को भोजन अवकाश नहीं होगा। सभा की कार्यवाही निरंतरता में जारी रहेगी। मैं समझता हूं सदन सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अपराह्न 1.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2015 (फाल्गुन-26, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा